त सरकार
लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमई–विकास संस्थान
107ए औद्योगिक आस्थान, कालपी रोड,
कानपुर.208012

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

Government of India
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
MSME–DEVELOPMENT INSTITUTE
107, Industrial Estate, Kalpi Road,
Kanpur - 208012

Phone: EPABX: (0512) 2295070-73 Tele/Fax: (0512) 2240143 e-mail: dcdi-kanpur@dcmsme.gov.in Website: msmedikanpur.gov.in

सं0 एमएसएमईडीआई/केएनपी/पीपीपी/एलबी/2015-16 दिनाँक: 30-09-2015

श्री एस.डी.शर्मा
अधिशासी निदेशक
इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
आई.आई.ए.भवन, विभूतिखण्ड, फेज-2,
गोमती नगर, लखनऊ-226010

महोदय,

आपको विदित हो कि एमएसएमई मंत्रालय द्वारा-सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सहायता हेतु पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पॉलिसी (PPP) बनाई गयी है। इस संदर्भ में पब्लिक प्रोक्योमेन्ट पॉलिसी (PPP)-2012 का विवरण आपकी जानकारी हेतु संलग्न है। पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पॉलिसी (PPP) को बढ़ावा देने हेतु मंत्रालय ने www.msmeconnect.gov.in वेबसाइट भी बनायी है जिस पर MSEs एवं PSUs का मैच-मेकिंग का भी प्रावधान किया गया है जोकि निश्चित रूप से इसका लाभ उद्यमियों एवं PSUs दोनों को मिलेगा।

इस पॉलिसी के बृहद रूप से प्रचार एवं प्रसार हेतु एसोसिएशन के सभी सदस्यों को सूचित करने का कष्ट करें तथा पत्र के पृष्ठ भाग पर दिये गये प्रपत्र में सम्पूर्ण जानकारी भरकर अधोहस्ताक्षरी को ईमेल/डाक द्वारा अतिशीघ्र प्रेषित करें, ताकि सभी यूनिटों के विनिर्माण उत्पाद आधार पर डाटा-बैंक तैयार किया जा सके। इस डाटा-बैंक का उपयोग केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विभागों के द्वारा उनके कुल खरीद का कम से कम 20 प्रतिशत सप्लाई सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) के द्वारा किंये जाने हेतु किया जायेगा।

पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पॉलिसी (PPP) के अन्तर्गत सप्लाई हेतु 358 आरक्षित आइटमों की सूची विकास आयुक्त(एमएसएमई),नई दिल्ली की वेबसाइट www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध है जोकि एमएसईज(MSEs) के द्वारा केवल सप्लाई की जाती है। इस पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पॉलिसी के 20% के 20% अर्थात सकल खरीद का 4% आपूर्ति अनु.जाति/अनु.जनजाति के उद्यमियों के द्वारा की जानी है। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि इस तरह की सभी यूनिटों को सूचित करने का कष्ट करें तथा अधोहस्ताक्षरी को भी उनके पते उपलब्ध कराये जायें।

उपरोक्त हेतु आपसे अतिशीघ्र कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है एवं आपके पास उपलब्ध सभी सदस्यों की सूची संलग्न प्रपत्र के साथ हार्ड-कांपी या ईमेल द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का भी कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक: 1. पब्लिक प्रोक्योमेन्ट पॉलिसी (PPP)-2012 का विवरण।
2. एमएसएमई के विनिर्माण उत्पाद हेतु प्रपत्र।

(एल०बी०एस० यादव)
उपनिदेशक(रसायन)
कृते निदेशक
मो0 8052687657
Email: lbsyknj@gamil.com

Public Procurement Policy for MSEs Order 2012

The Policy:

- Public Procurement Policy for MSEs order, 2012 has been notified under section 11 of **MSMED Act 2006.**
- The Policy is effective from 1st April, 2012 (Gazette notification on 26th March' 2012.) and has become mandatory w.e.f. 1st April,2015.
- The objective of Policy is promotion and development of Micro and Small Enterprises by supporting them in marketing of products produced and services rendered by them. However the policy rests upon core principle of competitiveness, adhering to sound procurement practices and execution of supplies in accordance with a system which is fair, equitable, transparent, competitive and cost effective.

Salient features/Benefits of the Policy:

- Tender sets free of cost and exemption from payment of earnest money to MSEs.
- MSEs quoting price within price band L-1 + 15% shall be allowed to supply upto 20% of tendered value at L-1 subject to lowering of price by MSEs to L-1.
- 358 items are reserved for exclusively procurement from MSEs
- Overall procurement goal of minimum 20% is mandatory from 1st April 2015.
- Every Central Ministry /Dept./Central PSUs required to set an annual target for 20% procurement from MSE Sector.
- A sub-target of 4% out of 20% target of annual procurement earmarked for procurement from MSEs owned by SC/STs entrepreneurs.
- Ministry /Department/CPSUs may highlight the details of procurement made from MSEs in their Annual Report.